महाप्रबंधक कार्यालय
पश्चिम मध्य रेल,
इंद्रा मार्केट, जबलपुर

# रेल यात्रियों से अपील

## बिना उचित कारण के अलार्म चेन पुलिंग न करें

## रेल यात्रियों को समय पर पहुंचाने के लिए संकल्पित

पश्चिम मध्य रेल यात्रियों को सुरक्षित एवं समय से उनके गंतव्य तक पहुंचाने के लिए सदैव प्रयत्नशील रहता है। पश्चिम मध्य रेल के महाप्रबंधक श्री शैलेन्द्र कुमार सिंह के मार्गदर्शन एवं प्रमुख मुख्य सुरक्षा आयुक्त के निर्देशन और मण्डल रेल प्रबंधक के नेतृत्व में रेल सुरक्षा बल द्वारा यात्री सुरक्षा में बेहतर कार्य करते हुए यात्रियों को उनके गतंव्य तक सुरक्षित पहुचाने के लिए हमेशा तत्पर एवं सतर्क है। कुछ यात्रियों द्वारा यात्रा के दौरान बिना किसी पर्याप्त कारण के चेन पुलिंग कर गाड़ी को रोक दिया जाता है, इससे गाड़ी की समय पालनता प्रभावित होने के साथ–साथ सह यात्रियों को भी असुविधा होती है, तथा साथ ही पीछे चलाने वाली गाड़ियों की समय पालनता प्रभावित होती है।

पमरे द्वारा जनवरी 2021 से 30 जून 2021 तक यात्री गाड़ियों की समय बाध्यता में सुधार लाने हेतु रेलवे सुरक्षा बल द्वारा बिना अधिकृत कारण के चैन पुलिंग (एसीपी) करने वाले व्यक्तियों को रेल अधिनियम के तहत प्रभावी कार्यवाही करते हुए 1019 यात्रियों के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की गई है। गौरतलब है कि वर्ष 01 जनवरी 2020 से 30 जून 2020 तक बिना उचित कारण के एसीपी करने वाले व्यक्तियों पर रेल अधिनियम के तहत कार्रवाई करते हुए 957 यात्रियों को अनियमित यात्रा करते हुए पाये जाने पर वैधानिक कार्यवाई की गई।

उल्लेखनीय है कि 01 जनवरी 2020 से 30 जून 2020 की अवधि में कार्यवाही करते हुए रुपये 6,10,699/– जुर्माने के रूप में रेल राजस्व अर्जित किया जबकि इस वर्ष 01 जनवरी 2021 से 30 जून 2021 तक अनियमित यात्रियों पर कार्यवाई करते हुए रुपये 8,24,185/– जुर्माना राशि वसूल की।

**ट्रेन की अनुचित चैन पुलिंग होने के कारण निम्नलिखित असुविधा एवं कठिनाई का सामना करना पड़ता है।**

- यात्रियों समय पर गंतव्य पर पहुचने में विफल हो जाते हैं।
- ट्रेन की समय पालनता अनिवार्य रूप से प्रभावित होती है।
- अन्य ट्रेनों की समय पालनता भी बिना प्रभावित हुये नहीं रहती है।

- ➢ ट्रेन के विलंब होने के कारण स्टेशनों पर भीड़ बढ़ जाती है जिससे हर यात्री को असुविधा होती है।
- ➢ चैन पुलिंग के कारण ट्रेन में असामाजिक तत्वों की चढ़ने की पूरी आशंका बनी रहती है।

बिना उचित कारण के चेन पुलिंग कर गाड़ी का समय पालनता प्रभावित करने के साथ ही सह यात्रियों को असुविधा उत्पन्न करने वाले यात्रियों के विरुद्ध तीनों मण्डलों (जबलपुर, भोपाल एवं कोटा) में टिकट चेकिंग स्टॉफ एवं रेल सुरक्षा बल द्वारा संयुक्त अभियान के तहत सख़्त कार्यवाही की जाती है।

बिना किसी उचित कारण के चेन पुलिंग करने वालों के विरुद्ध रेल अधिनियम की धारा 141 के तहत कार्यवाही की जाएगी, जिसमें एक वर्ष तक का कारावास या एक हजार रुपये तक का जुर्माना अथवा दोनों दंड का प्रावधान है।

अतः रेल प्रशासन अपने सम्मानीय यात्रियों से अपील करता है कि वह बिना किसी पर्याप्त कारण के खतरे की जंजीर खींचकर अपने को परेशानी में ना डालें और साथी यात्रियों को अनावश्यक कष्ट ना दें। इस प्रकार के कृत्य से गाड़ी की समय पालन प्रभावित होने के साथ ही सह यात्रियों को भी असुविधा होती है। इसके साथ ही कृपया एक जागरुक नागरिक होने का परिचय देते हुए उपयुक्त टिकट लेकर सम्मान जनक यात्रा का आनन्द ले।

**नोट** :– रेलवे प्रशासन यात्रियों से अनुरोध करता है कि यात्रा के दौरान कोविड–19 से संबंधित सभी दिशा–निर्देशों का कृपया पूरी तरह पालन करें।

---

संख्याः पमरे / मुख्या / मुजसअधि / प्रेस विज्ञप्ति / 252 / 2021 दिनांक 15.07.2021

सम्माननीय संपादक

कृपया जनहित में उपरोक्त समाचार अपने लोकप्रिय दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित कर सहयोग करें.

'सधन्यवाद

मुख्य जनसंपर्क अधिकारी
पश्चिम मध्य रेल, जबलपुर